FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत .... मुकाम 15/24/19
25/06/19

सुरेन्द्र सिंह बनाम रणजीत सिंह

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
25/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को एडमीशन की स्टेज पर सुना गया। वकील वादी ने अपनी अपील प्रार्थना-पत्र के समर्थन में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में एक वाद, वाद सं. 49/2008 जेरकार है जिसकी आगामी तारीख पेशी 24-6-19 नियत थी तथा अब आगामी तारीख भी निकट है वाद का उनवान हनुमान सिंह वगैरह बनाम रणबीर सिंह वगैरह है	

...रिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतिरिक्त जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)	वकील प्रार्थी ने अपने कथन मे आगे कहा कि उप खण्ड न्यायालय मुण्डावर के पीठासीन अधिकारी श्री योगेश डागुर से हमे न्याय प्राप्त होने की गुंजाईश नही है (उम्मीद) क्योंकि पीठासीन अधिकारी उक्त वर्णित प्रकरण मे छोटी-छोटी तारीख पेशी नियत करते है तथा सदे आज कहते है कि दावे मे कोई दम नही खारीज करूंगा व प्रतिवादी सिरदा 1/2 प्रदीप सिंह पुत्र सवाई सिंह को बार-बार पीठासीन अधिकारी कार्यालय चैम्बर मे व पीठासीन अधिकारी के घर-आते जाते देखा है उस प्रकार प्रतिवादी	

के पीठासीन अधिकारी के बार-बार
मेल जोल बढ़ाते देखकर निगरानी
(प्रार्थी) को अंदेशा होगया कि
पीठासीन अधिकारी श्री अंकुर
उक्त वाद में न्याय नहीं करेंगे
इस कारण प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित
दावे को जिले में स्थित अन्य
किसी उप खण्ड न्यायालय
में स्थानान्तरित कर दिया जावे
जिससे कि वादी (प्रार्थी) को
न्याय प्राप्त हो सके।

वकील प्रार्थी की बहस
सुनी गई व पत्रावलि का
अवलोकन किया गया, वकील
प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना-पत्र के
बिन्दु संख्या लगाय 9 में उपखण्ड
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
में अविश्वास प्रकट कर उपखण्ड
न्यायालय गुढ़ाबाद से उक्त वर्णित
वाद अन्य उपखण्ड न्यायालय
में स्थानान्तरित किये जाने का
वर्णन अंकित किया है परन्तु
प्रार्थना-पत्र के अवलोकन का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हुक्म को तामील में जारी हुए

अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वकील प्रार्थी जिन प्रार्थना-पत्र के माध्यम से उप खण्ड न्यायालय मु० गोविन्दगढ़ के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध (रिलिफ) राहत चाहते हैं उनको अपीलाधीन अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया जबकि सी०पी०सी० की प्रावधान आ० रू० 1 के अनुसार जिनके विरुद्ध (रिलीफ) राहत चाहिये उनका नाम व पता दर्शित कर आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया हो तो न्यायालय द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए न्यायालय उप खण्ड मु० गोविन्दगढ़ के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध राहत या निर्णय कैसे प्रदान कर सकेगा।

अतः पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र (अपील) CPC के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारीज होने योग्य है।	
	अपील अपीलार्थी एडमीशन के स्टेज पर ही खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 25-6-19 को खुले इजलास सुनाया गया।	
	[illegible] 25/6/19	
	(राजेश) अ. जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)